न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 16.10.2020

मिशल संख्याः– 445/2019

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. कैलाश पुत्र रामकरण जाति जाट उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कालू पुत्र गोपाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. छीतर पुत्र रामकरण जाति जाट उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. फूला देवी पत्नी कैलाश जाति जाट उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. भैरू पुत्र गोपाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सीता पुत्री गोपाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण–

बनाम

1. नारायणी पत्नी भूरा जाति मीना उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सुखदेव पुत्र भूरा जाति मीना उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सुखमन पुत्री भूरा जाति मीना उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सुखी पुत्री भूरा जाति मीना उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सोदान पुत्र भूरा जाति मीना उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सोदान सिंह पुत्र भूरा जाति मीना उम्र बालिग निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0

7.तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध 1 व 3 ता 4 व 6

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात ख0नं0 2135 रकबा 0.24 है0, ख. नं. 2136 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बीजवाड पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर अपने पूर्वजो के समय से ही ग्राम बीजवाड़ तहसील देवली में स्थित सिवायचक भूमि ख. नं. 2139 में से होकर व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.39 है0 में से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आने जाने वाले उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है तथा सिवायचक भूमि

व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा सिवायचक भूमि पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा रास्ता बन्द कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात पर आने जाने में काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि को काश्त नहीं कर पा रहे है जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने को अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात पर आने जाने के लिये ग्राम बीजवाड़ तहसील देवली में स्थित पूर्व दिशा की ओर बीजवाड़ से सलारी जाने वाले आम रास्ते से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2139 में से होकर व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2139 में से होकर व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.39 है0 में से होकर 25 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 तथा 5 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एन. तुनगारिया ने वकालतनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त समय व तारीख पेशी में जवाब पेश नहीं करने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 3 ता 4 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार देवली ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। उक्त ग्राम में डी.एल.सी दर 336897/– रूपये प्रति है0 है। प्रस्तावित रास्ते की ख. नं. 2139 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 6 मीटर अर्थात 24 वर्ग मीटर की राशि 809 दुगनी राशि 1618 सिवायचक राज0 सरकार, ख. नं. 2141 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 68 मीटर अर्थात 272 वर्ग मीटर की राशि 9164 दुगनी राशि 18328 सिवायचक राज0 सरकार, ख. नं. 2138 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 90 मीटर अर्थात 360 वर्ग मीटर की राशि 12128 दुगनी राशि 24256 नाम खातेदार नारायणी वगै., ख. नं. 2142 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 32 मीटर अर्थात 128 वर्ग मीटर की राशि 4312 दुगनी राशि 8624 नाम खातेदार नारायणी वगै, में डी.एल.सी दर से कुल राशि 26413/– रूपये, दुगनी प्रतिकर राशि 52826 रूपये होती है। प्रार्थी की आराजी ख. नं. 2135 व 2136 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।प्रार्थी जिन ख. नं. से रास्ता चाहता है 2138, 2139, 2141, 2142 से जुड़ा है। जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से निन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड़, दीवार आदि नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। अतः उक्त भूमि पर कोई भी रास्ता मौके पर चालू नहीं है। मौके पर विवाद होने की सम्भावना है। अप्रार्थी को उपस्थित होने बाबत हस्ताक्षर करवाना चाहा तो हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है।

रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में रास्ते की आवश्यकता तो बताई परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि नक्शा ट्रेस में 2138 के नीचे की ओर से भी रास्ता दिया जाये तो कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2076 अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074–777 के खाता संख्या 192 ख0नं0 2135 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 2136 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बीजवाड़ मे प्रार्थी की जोत में कृषि कार्य हेतु जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 3 ता 4 व 6 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर सहमति जताई है और नक्शा ट्रेस में 2138 के नीचे की ओर दक्षिण की तरफ से भी रास्ता देने हेतु कथन किया है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ते की ख. नं. 2139 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 6 मीटर अर्थात 24 वर्ग मीटर की राशि 809/– रूपये दुगनी प्रतिकर राशि 1618/– रूपये सिवायचक राज0 सरकार, ख. नं. 2141 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 68 मीटर अर्थात 272 वर्ग मीटर की राशि 9164/– दुगनी प्रतिकर राशि 18328/– सिवायचक राज0 सरकार, ख. नं. 2138 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 90 मीटर अर्थात 360 वर्ग मीटर की राशि 12128/– दुगनी प्रतिकर राशि 24256/– रूपये नाम खातेदार नारायणी वगै., ख. नं. 2142 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 32 मीटर अर्थात 128 वर्ग मीटर की राशि 4312/– दुगनी प्रतिकर राशि 8624/– नाम खातेदार नारायणी वगै. कुल लम्बाई 196 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षैत्रफल 784 वर्ग मीटर की डी.एल.सी दर 336897/– रूपये प्रति है0 से राशि 26413/– रूपये, दुगनी प्रतिकर राशि 52826/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे । उक्तानुसार बाद तरमीम रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली